

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/17/ 39290-39480

दिनांक :- 19/07/17

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :- Instructions given by Hon'ble Chief Minister on 30.10.2015 at Nagaur.

प्रसंग :- कार्यालय जिला कलक्टर नागौर के पत्र क्रमांक विकास/2017/1914 दिनांक 20.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार नागौर कलक्टर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5546 दिनांक 17.09.2015 द्वारा आदेश जारी कर नागौर शहर को स्वच्छ प्रदूषण मुक्त व सुन्दर वातावरण हेतु पोलिथिन मुक्त करने हेतु "जागृति अभियान" चलाया गया। उक्त अभियान की सफलता को देखते हुए इसे राज्य के अन्य शहरों में लागू किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। जिससे अन्य शहर भी पोलिथिन मुक्त हो सके।

जिला कलक्टर नागौर का प्रस्ताव संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। आप अपने शहर को पोलिथिन मुक्त किये जाने की कार्यवाही करते हुये पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(पवन अरोड़ा)

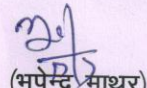
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 19/07/17

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/17/ 39481-39711

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, निदेशालय।
4. निजी सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।



(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

1743247

30/06/कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर

क्रमांक :- विकास / 2017 / 19/4

प्रेषित :-

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव

स्वायत्त शासन विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर

डायरी नं. ... 9034

दिनांक ... 28/6/17

दिनांक :- 20 जून 2017

विषय :- Instructions given by Honble Chief Minister on 30.10.2015 at Nagaur.

प्रसंग :- इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक प.40() सामान्य / 2015 / 6400 दिनांक 17.12.15

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नागौर जिले में "आपका जिला आपकी सरकार" के दौरान माननीया मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश (Collector, Nagaur to submit a detailed proposal regarding "Jagruti Abhiyaan" to Principal Secretary, LSG for its adoption in other places.) की पालना में प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रस्ताव आपको भिजवाया गया था, परन्तु CMIS पोर्टल पर आपके द्वारा " नागौर कलेक्टर के यहां से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।" दिनांक 02.06.17 को अपडेट किया गया है अतः इस बिन्दू के संबंध में पुनः इस पत्र के साथ "जागृति अभियान" के प्रस्ताव भिजवाया जा रहा है। अतः इस संबंध में CMIS पोर्टल पर सूचना अपडेट करवाने का श्रम करावे।

Sr. No.	Department Name	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	Status
1	LSG	Instructions given by Honble Chief Minister on 30.10.2015 at Nagaur.	Collector, Nagaur to submit a detailed proposal regarding "Jagruti Abhiyaan" to Principal Secretary, LSG for its adoption in other places.	नागौर कलेक्टर के यहां से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। Task Started, but not Completed Last updated on: 02/06/2017	Task Pending in Department

Dr. Compliance
Arun Kumar Kalagi

30/6/17

जिला कलेक्टर,
नागौर

कार्यालय, जिला कलक्टर, नागौर (राज.)

108

क्रमांक : प. 40()सामान्य/2015/6400
प्रेषित

दिनांक : 17.12.15

प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान जयपुर ।

विषय:- जागृति अभियान के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत ।

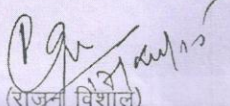
महोदय,

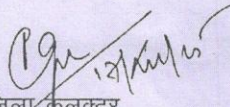
उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीया मुख्यमंत्री महोदया के नागौर यात्रा कार्यक्रम दिनांक 30.10.15 को दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु संख्या 20 की पालना में जिले में संचालित "जागृति अभियान" की विस्तृत कार्य योजना संलग्न भिजवाई जा रही है ।

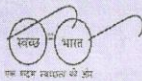
संलग्न: उपरोक्तानुसार

क्रमांक/सम/6401

प्रतिलिपि- सचिव, -II, मुख्यमंत्री कार्यालय राज0 जयपुर को उनके U.O Note N0.CMC/ DIR.Stats/ CMO/ 2015 Jaipur Date: 2-11-15 के बिन्दु संख्या 20 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है ।


(राजेंद्र विशाल)
जिला कलक्टर, नागौर
दिनांक 17.12.15


जिला कलक्टर
नागौर



Contact: 01582-241444 (O), 240830 (F) E-mail : dm-nag-rj@nic.in



स्वच्छ नागौर-स्वस्थ नागौर-निराळो नागौर

कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर

कमांक-~~विक्टर~~ 2015-16/5546

दिनांक 17/9/15

कार्यालय आदेश

स्वच्छ प्रदूषण मुक्त व सुन्दर वातावरण सभ्य समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में नागौर जिले को स्वच्छ व सुन्दर बनाने तथा पोलीथीन मुक्त करने के लिए प्रारम्भिक तौर पर शहरी क्षेत्रों/नगरपालिका/नगरपरिषद् क्षेत्रों में जागृति अभियान चलाया जाएगा। अभिभावकों को इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा व्यक्तिगत अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया जाएगा जिसमें उनसे पोलीथीन थैलियों का प्रयोग नहीं करने एवं कपड़े की थैलियों का उपयोग के लिए अनुरोध किया जाएगा तथा इस आदत को पड़ोसियों को भी शामिल करने के लिए निवेदन किया जाएगा। इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालय को 26 जनवरी 2016 को सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान की विस्तृत कार्य योजना परिशिष्ट 'अ' में दी गयी है। अभियान के मुख्य घटक स्वयं अनुपालना पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन है। जो निम्नानुसार है:-

स्वयं अनुपालना-

1.पोलिथीन का एकत्रितकरण-इसके तहत राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा घरों में उपयोग हो रहे पोलीथीन की थैलियों को संग्रहित कर अपने विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को जमा कराया जाएगा। विद्यालय से संग्रहित पोलीथीन को संकुल विद्यालय में उसी दिन नगरपालिका/नगरपरिषद् के सफाई निरीक्षक द्वारा तौल कर प्राप्त किया जायेगा। जिसका संबंधित निकाय द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।

2.कपड़े/कागजों की थैलियाँ- विद्यालयों में SUPW एवं कला शिक्षा के कालाश में विद्यार्थियों से कपड़े की थैली बनवाई जाएगी। पुराने अखबार एवं कागज से लिफाफे बनाए जाएंगे साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को कपड़े/कागज की थैली बनवाने के इस अभियान से जोड़ा जायेगा।

3.प्रचार प्रसार-आमजन में पोलीथीन के उपयोग पर पाबन्दी हेतु जागरूकता उत्पन्न की जानी है। इस हेतु नुक्कड़ नाटक,वाद विवाद प्रतियोगिता,भाषण प्रतियोगिता, रैली,प्रदर्शनी, झांकिया, रंगौली इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जायेगा।

अभियान का पर्यवेक्षण-

1.विधिक प्रावधान- The Environment (Protection) Act 1986 की धारा 19 के तहत संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत की शक्तिया प्रत्यायोजित की है। अधिसूचना दिनांक 10.11.2010 की प्रति सलग्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक(विनिर्माण उपयोग एवं कचरा प्रबन्धन) नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही करने के अधिकार है। इसी प्रकार नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के अनुसार प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण पर प्रतिबन्ध होने के आधार पर दिनांक 01.08.2010 से राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग विनियम भण्डारण आयात विक्रय या परिवहन नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिबन्धित है।उक्त प्रतिबन्धों के अनुसरण में जब्त की गई पोलीथीन कैरीबैग का निस्तारण संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार एवं एकत्रित की गई कैरी बैग का निस्तारण नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबन्धन) नियम 1999 के अनुसार संबंधित निकाय के द्वारा किया जायेगा।

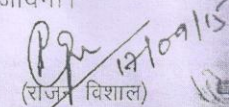
2.पर्यवेक्षण-अभियान के पर्यवेक्षण के लिए उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें विकास अधिकारी, तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी नगरपरिषद्/नगरपालिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान संघ, नोडल अधिकारी

एवं गैर सरकारी संस्थान संध के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। कमेटी गठन का कार्यालय आदेश परिशिष्ट 'ब' पर दिया गया है। इस कमेटी की पाक्षिक समीक्षा बैठक माह के प्रथम व तृतीय सोमवार को होगी, जिसमें विद्यालयों से प्राप्त पोलीथीन संग्रहण की प्रगति एवं इस अभियान का सुचारु रूप से चलाने हेतु आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में विचार विमर्श कर हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। कमेटी द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भिजवाई जाएगी। जो परिशिष्ट 'स' व 'द' है

अभियान का मूल्यांकन-

सरकारी व निजी संस्थाओं के विधार्थियों द्वारा इस अभियान में किए गये कार्यों का मूल्यांकन तीन वर्गों में किया जायेगा। जिसमें प्रथम वर्ग में नर्सरी से कक्षा पंचम तक द्वितीय वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक तृतीय वर्ग में 9 से 12 तक के विधार्थियों द्वारा अभियान के तहत किए गये कार्यों की दिनांक 20 जनवरी 2016 को जिला मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जावेगी। जिसके आधार पर इन वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विधार्थियों को सम्मानित किया जायेगा।

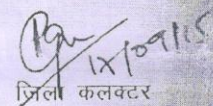
संलग्न:- परिशिष्ट अ, ब, स


(राजेंद्र विशाल)
जिला कलेक्टर
नागौर
दिनांक:- 17/9/15

क्रमांक: 5547+0 567-0

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अति० जिला कलेक्टर नागौर/डीडवाना
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर
- 3 अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नागौर
- 4 उपखण्ड अधिकारी.....
- 5 विकास अधिकारी.....
- 6 तहसीलदार.....
- 7 आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी नगरपरिषद/नगरपालिका
- 8 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम/द्वितीय, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर।
- 9 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
- 10 बाल विकास परियोजना अधिकारी.....
- 11 ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी.....
- 12 ब्लॉक मुख्य प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.....
- 13 नोडल प्रधानाचार्य नगरीय ब्लॉक.....
- 14 ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी राउमावि.....
- 15 अध्यक्ष निजी विद्यालय संध ब्लॉक स्तर.....
- 16 गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि
- 17 रक्षित पंजिका।


जिला कलेक्टर
नागौर

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांक :- 5672 + 5977

परिशिष्ट 'ब'

दिनांक :- 17/9/15

कार्यालय आदेश:-

शिक्षा विभाग एवं नगरीय निकाय नगरपरिषद्/नगरपालिका के सानिध्य में 'जागृति अभियान' के सफल संचालन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे-

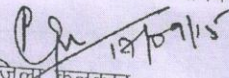
1. उपखंड अधिकारी	अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी	सदस्य
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
4. तहसीलदार	सदस्य
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6. खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
7. नॉडल प्रधानाचार्य	सदस्य
8. प्रतिनिधि स्वयं सेवी संस्था	सदस्य
9. अध्यक्ष निजी शिक्षण ऐसोशिएसन	सदस्य

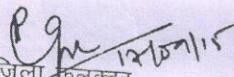
उपरोक्त कमेटी जन जागृति द्वारा राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को पोलीथीन की रोकथाम हेतु प्रेरित करेगी। कमेटी द्वारा पाक्षिक समीक्षा बैठक माह के प्रथम व तृतीय सोमवार को उपखण्ड स्तर पर की जाएगी। इस अभियान का समुचित प्रचार-प्रसार करे। पाक्षिक रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित समय पर भेजना सुनिश्चित करे।

क्रमांक- 5672 + 5977

प्रतिलिपि:-

1. उपखंड अधिकारी
2. विकास अधिकारी
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी
4. तहसीलदार
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
6. खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7. नॉडल प्रधानाचार्य
8. प्रतिनिधि स्वयं सेवी संस्था
9. अध्यक्ष निजी शिक्षण ऐसोशिएसन


जिला कलक्टर
नागौर
दिनांक 17/9/15


जिला कलक्टर
नागौर